

एमएस हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त

16 अगस्त 2007

(एस.एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जेजे)

न्यायिक हस्तक्षेप - अधिकरण द्वारा मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए फिर से खोलने का निर्देश देने वाला आदेश - न्यायाधिकरण का आदेश अंतिम निर्णय प्राप्त कर चुका है - उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप औचित्य अभिनिर्धारित: उचित नहीं - निर्णय / आदेश।

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 194 सी और 201(1) - निर्धारिती उस कंपनी को गोदाम शुल्क का भुगतान करता है जिस पर उसने धारा 194 - सी के तहत कर काटा है - निर्धारण अधिकारी कर की कम कटौती की राशि के लिए निर्धारिती को दोषी मानता है और उस पर ब्याज उदग्रहित किया गया - परिपत्र

के तहत कोई मांग की कल्पना नहीं की गई है। धारा 201(1) के तहत कर कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को संतुष्ट करने के बाद लागू किया जाएगा कि देय करों का भुगतान कटौतीकर्ता निर्धारिती द्वारा किया गया था - हालांकि, धारा 201(1) के तहत कटौतीकर्ता - निर्धारिती द्वारा करों के भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया गया जो धारा 211 के तहत ब्याज और भुगतान किए गए कर दोनों पर - सीबीडीटी परिपत्र संख्या 275/201/95-आईटी (बी) दिनांक 29.1.1997. मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं।

अपीलकर्ता - निर्धारिती ने संग्रह के उद्देश्य के लिए पीओसी के परिसर का उपयोग किया और पीओसी को गोदाम शुल्क का भुगतान किया, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 सी के तहत 2 प्रतिशत की दर से कर काटा गया था। निर्धारण अधिकारी ने पीओसी को भुगतान किए गए गोदाम शुल्क के संबंध में काटे गए कर की राशि में कमी के लिए अपीलकर्ता को 'चूक में निर्धारिती' माना और कथित कर की राशि पर अधिनियम की धारा 201(1ए) के तहत कम कटौती पर ब्याज लगाया। अपीलार्थी ने

अपील पेश की। अधिकरण ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। हाईकोर्ट ने भी आदेश यथावत रखा। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उन अपीलों में विविध आवेदन पेश किया जिनका पहले ही निपटारा किया जा चुका था। अपीलकर्ता ने अपील के ज्ञापन में अधिकरण के आदेश में सुधार के सम्बंध में वैकल्पिक तर्क ग्राउंड नंबर 7 में उठाया कि गोदाम मालिक का मूल्यांकन उसकी आय पर किया गया है और विभाग द्वारा उससे देय कर की वसूली की गई है। ऐसे में, उसी आय पर अपीलकर्ता से कोई और कर नहीं लिया जा सकता इस पर अधिकरण ने विचार नहीं किया। अधिकरण ने अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए आवेदन को अनुमति दे दी। विभाग ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी। अधिकरण ने अपील पर दोबारा सुनवाई करते हुए कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता - निर्धारिती को 'चूक में निर्धारिती' माना गया था, लेकिन अपीलकर्ता से एक बार फिर से कथित कर की कोई वसूली नहीं हो सकती है क्योंकि पीओसी ने अपीलकर्ता से प्राप्त राशि पर पहले ही कर का भुगतान कर दिया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिकरण किसी भी अग्रिम सुनवाई के लिए मामले को फिर से नहीं खोल सकता था क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के पहले के आदेश के

खिलाफ दायर अपील को खारिज करने पर अंतिम कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में ग्राउंड नंबर 7 पर आधारित बिंदु को नहीं लिया गया था और यह कि अधिकरण का पिछला आदेश स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विलय हो गया। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित 1.1. ग्राउंड नंबर 7 के संबंध में मामले को अग्रिम सुनवाई के लिए फिर से खोलने के लिए अधिकरण द्वारा पारित आदेश अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच गया है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। (पैरा 9) (1050-बी)

1.2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 275/201/95-आईटी(बी) दिनांक 29.1.1997 में घोषणा की गई है कि कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को संतुष्ट कर दिया है कि निर्धारिती द्वारा देय कर का भुगतान कर दिया गया है तो आयकर अधिनियम की धारा 201(1) के तहत कोई भी मांग कर के बाद लागू नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, इससे भुगतान

की तारीख तक अधिनियम की धारा 201(1ए) के तहत ब्याज वसूलने की देयता एवं आयकर अधिनियम की धारा 271 सी के तहत कटौती प्राप्तकर्ता निर्धारिती जुर्माने की देयता में बदलाव नहीं होगा। (पैरा 10) (1050 - सी, डी)

1.3. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 201(1ए) के तहत ब्याज का भुगतान किया था और इसमें कोई विवाद नहीं है कि देय कर का भुगतान निर्धारिती, पीओसी द्वारा किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि परिपत्र मौजूदा तथ्यों पर लागू होता है। (पैरा 11) (1050 - ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3765 / 2007

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आई.टी.ए. 2005 की संख्या 478 और 843 में दिनांक 11.10.2006 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से सोली जे. सोराबजी, भार्गव वी. देसाई, कविता झा, राहुल गुप्ता और रीमा शर्मा।

प्रत्यर्थी की ओर से पी. पी. मल्होत्रा, इरशाद अहमद और बी. वी. बलराम दास।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा किया गया था।

बी. सुदर्शन रेड्डी, जे। अनुमति दी।

2. अपीलार्थी - निर्धारिती द्वारा विशेष अनुमति से दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2006 आई.टी.ए. संख्या 478 / 2005 के विरुद्ध अपील की।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

4. अपीलकर्ता - निर्धारिती शीतल पेय के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ है। अपीलकर्ता - निर्धारिती ने मैसर्स प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ अपीलकर्ता - कंपनी से संबंधित माल की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए उनके परिसर का उपयोग करने के लिए समझौता किया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने मैसर्स प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन को गोदाम शुल्क का भुगतान किया जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 सी के तहत 2 प्रतिशत की दर से कर काटा गया था। निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 30.3.2001 के आदेश के तहत मैसर्स प्रदीप ऑयल

कॉर्पोरेशन को भुगतान किए गए गोदाम शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर कटौती करने में विफलता के लिए अपीलकर्ता को चूक में निर्धारिती माना। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता - कंपनी द्वारा किए गए भुगतान संविदात्मक भुगतान की प्रकृति का था जिस पर अधिनियम की धारा 194 सी के तहत 2 प्रतिशत कर काटा गया था। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी का मानना है कि गोदाम शुल्क अधिनियम की धारा 194-1 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किराए की प्रकृति में था और इसलिए अधिनियम की धारा 194 सी के तहत 2 प्रतिशत पर कर की कटौती के मुकाबले उक्त प्रावधानों के तहत 20 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए थी। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलकर्ता को स्रोत पर काटे गए कर की राशि में कमी के लिए अधिनियम की धारा 201(1 ए) के तहत कथित रूप से कम काटे गए कर की राशि पर ब्याज लगाए जाने के लिए 'चूक में निर्धारिती' माना है। निर्धारण अधिकारी ने तदनुसार कर की कम कटौती की राशि निर्धारित की और अधिनियम की धारा 201(1 ए) के तहत उस पर देय ब्याज भी लगाया।

5. अपीलकर्ता ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष और उसके बाद अधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अधिकरण ने भी यह विचार किया कि कर की कम कटौती की राशि के संबंध में अपीलकर्ता - निर्धारिती को 'चूक में निर्धारिती' माना जाए और अधिनियम की धारा 201(1 ए) के तहत ब्याज की वसूली को भी बरकरार रखा गया। अपीलकर्ता - निर्धारिती द्वारा की गई आगे की अपील को उच्च न्यायालय ने 21.5.2004 को खारिज कर दिया गया।

6. इसके बाद अपीलकर्ता ने अपील विविध आवेदन को प्राथमिकता दी कि अधिकरण के दिनांक 12.7.2002 के आदेश में सुधार की मांग करने वाली अपीलों का निपटारा पहले ही किया जा चुका था। ज्ञात हो, अपीलकर्ता ने 'चूक में निर्धारिती' होने के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया और अधिनियम की धारा 201(1 ए) के तहत ब्याज लगाने के संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं उठाई। अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि उसके वैकल्पिक तर्क पर कि गोदाम शुल्क का मूल्यांकन उसकी आय पर किया गया है और विभाग द्वारा उससे देय कर की वसूली की गई है और इसलिए, अपीलकर्ता से कोई और कर एकत्र नहीं किया जा सकता था, इस

पर अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 12.7.2002 में विचार नहीं किया गया। तर्क यह था कि चूंकि विभाग द्वारा आय पर वसूला जाने वाला कर निर्धारिती द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है, इसलिए उसी आय पर अपीलकर्ता से कोई और कर नहीं वसूला जाना चाहिए। अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 13.9.2004 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को इस आधार पर अनुमति दी कि अपील का निपटारा करते समय अपीलकर्ता के वैकल्पिक तर्क पर विचार नहीं किया गया है। यह विवाद विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के ग्राउंड नंबर 7 में उठाया गया था। अधिकरण ने तदनुसार माना, उस हद तक, रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती है और इसलिए, अधिनियम की धारा 254(2) के तहत एक सुधार योग्य गलती है। तदनुसार, अधिकरण ने अपील के ज्ञापन में ग्राउंड नंबर 7 में उठाए गए विशेष आधार को लेने के सीमित उद्देश्य के लिए अपने पहले के आदेश दिनांक 12.7.2002 को वापस ले लिया। मामले को दोबारा खोलने का निर्देश देने वाला यह आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुका है। विभाग ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी।

7. अधिकरण ने अपील पर दोबारा सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि अपीलकर्ता - निर्धारिती को 'चूक में निर्धारिती' माना गया था, अपीलकर्ता से एक बार फिर से चूक करने वाले कथित कर की कोई वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलकर्ता से प्राप्त राशि पर प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभाग ने अधिकरण के समक्ष स्वीकार किया कि कर कटौतीकर्ता से एक बार फिर से वसूली नहीं की जा सकती है, जहां भुगतानकर्ता ने उस आय को शामिल किया है जिस पर कर की कटौती का आरोप लगाया गया था और उस पर कर का भुगतान किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपीलकर्ता से प्राप्त अपनी आय पर देय कर का भुगतान पहले ही कर दिया था और कर विभाग से रिफंड प्राप्त कर लिया था। अधिकरण सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर एक बार फिर अपीलकर्ता (कटौतीकर्ता - निर्धारिती) से वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि कर का भुगतान आय प्राप्तकर्ता द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

8. उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि आयकर अपीलीय अधिकरण के

दिनांक 12.7.2002 के आदेश ने अपीलकर्ता द्वारा इसके खिलाफ दायर अपील के बाद से अपनी अंतिम स्थिति प्राप्त कर ली है। 21.5.2004 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। ग्राउंड नंबर 7 पर आधारित बिंदु को अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील में नहीं लिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का दिनांक 12.7.2002 का आदेश 21.5.2004 को पारित आदेश में विलय हो गया, जिसमें अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिकरण इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए दोबारा नहीं खोल सकता था।

9. हमने पहले ही देखा है कि ग्राउंड नंबर 7 के संबंध में मामले को अग्रिम सुनवाई के लिए फिर से खोलने के लिए अधिकरण द्वारा पारित आदेश अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच गया है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

10. जैसा भी हो, हमारी सुविचारित राय में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 275/201/95-आईटी(बी) दिनांक 29.1.1997 से विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। परिपत्र में घोषणा की गई है कि कर कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को संतुष्ट करने के बाद आयकर अधिनियम की धारा 201(1) के तहत कल्पना की गई कोई भी मांग लागू नहीं की जानी चाहिए, कि कटौतीकर्ता - निर्धारिती द्वारा देय करों का भुगतान किया गया है। हालाँकि, इससे कटौतीकर्ता - निर्धारिती द्वारा करों के भुगतान की तारीख तक अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत ब्याज वसूलने की देयता या आयकर अधिनियम की धारा 271 सी के तहत जुर्माने की देयता में कोई बदलाव नहीं आएगा।

11. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 201(1 ए) के तहत ब्याज का भुगतान किया था और इसमें कोई विवाद नहीं है कि देय कर का भुगतान 'चूक में निर्धारिती' (मैसर्स प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन) द्वारा किया गया था। हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि परिपत्र मौजूदा तथ्यों पर लागू होता है।

12. इन परिस्थितियों में, इस बारे में विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है कि क्या अधिकरण रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि को सुधारने के लिए अपील को फिर से खोल सकता था। हम इस पहलू पर कोई ठोस राय व्यक्त नहीं करना चाहते।

13. तदनुसार, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता है। व्यय के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे.

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्दु चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।